छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्र.एफ–13–5/2019/आ.प्र./1–3 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29/5/2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),
छत्तीसगढ़

विषय:– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य निर्देश।

संदर्भ:– इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 30.4.2019.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए भारत सरकार के अंतर्गत लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019–Estt(Res), दिनांक 31.01.2019 द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार इस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु संदर्भित आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

2/ इस विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु केवल सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है, उसमें आवेदन के प्रारूप एवं प्रकिया के संबंध में स्थिति दर्शित न होने के कारण जिला कार्यालयों में उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विभिन्न कठिनाईयां आ रही हैं। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक को "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–एक) में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदकों को आवेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत करने होंगे।
3. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में वही प्रकिया अपनाई जाएगी, जो वर्तमान में आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रचलित है।
4. प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व उद्घोषणा एवं दावा आपत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा तहसीलदारों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत ही उक्त प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन अमान्य करने के विरूद्ध आवेदक द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रथम अपील तथा संभागीय आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

क्रमशः...2

KP

7. आवेदन के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों/दस्तावेजों इत्यादि की समुचित जांच व परीक्षण जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाए एवं स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए। मिथ्या साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होने पर जारीकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही उसी प्रकार की जाएगी जैसा कि मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी होने पर सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध की जाती है।
8. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019 Estt (Res), दिनांक 31.1.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 4.1 में आय एवं सम्पत्ति के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं क्रीमीलेयर योजना के अंतर्गत नहीं आते है और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) से कम है, उनकी पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में की जाएगी। आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र में आय, आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्त्रोतों, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे एवं अन्य स्त्रोतों से हुई आय शामिल होगी। ऐसे उम्मीदवारों की पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास उक्त ज्ञापन की कंडिका 4.1 में उल्लिखित कोई भी सम्पत्ति होगी, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो।
9. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का समुचित रूप से परीक्षण/सत्यापन किया जाकर आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम एक माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क. एफ 13—5/2019/आ.प्र./1—3 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29/5/2019
प्रतिलिपिः—

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर,
6. समस्त निज सचिव/निज सहायक, मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़, रायपुर
11. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़,
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
13. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर,
14. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।

क्रमशः....3

15. संचालक, राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), रायपुर की ओर भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019–Estt(Res), दिनांक 19.01.2019 एवं कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31.01.2019 की छायाप्रति सहित सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट http://www.gad.cg.gov.in/ पर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग